

सेवा में

विषय:- संसदीय कार्य मंत्रालय की स्टाफ कारों/तिपहिया स्कूटरों की सर्विसिंग/मरम्मत/अनुरक्षण के लिए संविदा - कोटेशन आमंत्रित करना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की स्टाफ कारों/तिपहिया स्कूटरों की सर्विसिंग, अच्छी तरह जांच और मरम्मत के लिए वार्षिक संविदा हेतु टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। कारों/तिपहिया स्कूटरों के अनुरक्षण/मरम्मत का काम करने वाली प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं। निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली फर्म अपनी बोलियां, जिन पर “संसदीय कार्य मंत्रालय की स्टाफ कारों/तिपहिया स्कूटरों की सर्विसिंग, अच्छी तरह से जांच और मरम्मत के लिए वार्षिक संविदा हेतु कोटेशन” लिखा हो, केवल मोहरबंद टेंडर में निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय, कमरा नं.86-बी, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 को भेज सकती हैं। तकनीकी/वाणिज्यिक टेंडर दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफों में होनी चाहिए तथा तकनीकी बोली पर “तकनीकी बोली” तथा वित्तीय प्रस्ताव पर “वित्तीय बोली” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

2. तकनीकी बोली में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:-

- (1) फर्म का नाम.....
- (2) फर्म का व्यापारिक पता.....
- (3) टेलीफोन नंबर
- (4) मोबाइल नंबर (यदि कोई है).....
- (5) फर्म की कुल वार्षिक बिक्री.....
- (6) क्या आयकर/बिक्री कर के लिए निर्धारण किया गया है,
यदि हां तो पैन/टिन(वैट) नंबर
- (7) अनुरक्षण सेवा देने के पूर्व अनुभव का विवरण

- (8) न्यूनतम तीन सरकारी संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों से निष्पादन प्रमाणपत्र।
- (9) आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र।
- (10) वर्कशॉप की पंजीकरण/लाईसेंस संख्या।
- (11) डिमांड ड्राफ्ट (संख्या दिनांक) के माध्यम से
रु.30,000/- (तीस हजार रुपये केवल) की बयाना राशि।

3. वित्तीय बोली में शामिल होना चाहिए:- अनुबंध-1 में दर्शाई मदों के अनुसार प्रत्येक मद के सामने अलग-अलग दर।

4. संविदा सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

5. फर्म को अनुरक्षण सहित व्यापार में 8 (आठ) वर्ष से होना चाहिए (जिसकी सर्विस व्यापार की कुल बिक्री पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रु.20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए)।

6. टेंडरदाताओं/सफल बोलीदाताओं को निम्नलिखित अतिरिक्त निबंधन और शर्तों का भी अनुपालन करना पड़ेगा:-

- (1) संविदाकार अन्य विभागों के लिए भी अधिमानतः इसी प्रकार का कार्य कर रहा हो।
- (2) “वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य,” नई दिल्ली के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु.30,000/- (तीस हजार रुपये केवल) की बयाना राशि ‘तकनीकी बोली’। यदि बोली बयाना राशि के बिना प्राप्त होती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (3) उक्त बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और इसे संविदाकार की ओर से देय राशि, यदि कोई होगी, के समायोजन के अधीन रहते हुए संविदा सफलतापूर्वक पूरी होने के पश्चात लौटा दिया जाएगा। संविदा पर अंतिम निर्णय ले लिए जाने के पश्चात असफल टेंडरदाताओं की बयाना राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
- (4) टेंडरदाता की वर्कशॉप संसद भवन से 10 किलोमीटर के घेरे में होनी चाहिए।
- (5) मजदूरी (लेबर चार्जिज) में संविदा अवधि के पूरे एक वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (6) उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त पुर्जे नए और असली गुणवत्ता के होने चाहिए और दरें विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों की अनुमोदित दर सूची के अनुसार होनी चाहिए। पुराने/बदले गए पुर्जे मंत्रालय की संपत्ति होंगे और वर्कशॉप बिल प्रस्तुत करते समय बदले गए पुर्जों की सूची के साथ उन्हें मंत्रालय को लौटाएगी।

- (7) संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मरम्मत के लिए भेजे गए वाहन की तस्सलीबक्श मरम्मत की जाए। यदि एक मास की अवधि के भीतर वही समस्या दुबारा आती है तो संविदाकार को कार/तिपहिया स्कूटर की मरम्मत करनी पड़ेगी जिसके लिए किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (8) संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस वाहन की मरम्मत की जा रही है उसमें से पेट्रोल न निकाला जाए। जब वाहन को मरम्मत के लिए वर्कशॉप में ले जाया जाता है तो चालक की उपस्थिति में पेट्रोल की मात्रा जॉब कार्ड में रिकार्ड की जाए।
- (9) संविदाकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि व्यर्थ का परिचालन न किया जाए।
- (10) संविदाकार को सभी कार्यदिवसों के अतिरिक्त छुट्टी के दिन भी सेवा प्रदान करने के लिए टेलीफोन पर उपलब्ध रहना चाहिए।
- (11) संविदा से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।
- (12) मंत्रालय के पास लिखित में 7 दिन का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए किसी भी समय संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा। संविदाकार ऐसे समापन के कारण किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (13) टेंडरदाता के लिए संदर्भाधीन कार्य करने के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करने के लिए प्रमाणपत्र देने तथा अपने सुनाम और संतोषजनक निष्पादन के लिए किसी सरकार से भी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- (14) इस टेंडर प्रलेख में उल्लिखित निबंधन और शर्तें अंतिम करार के निष्पादन से पहले मंत्रालय के विवेक से आशोधन/परिवर्तन/विलोप के अध्याधीन हैं।
- (15) इस मंत्रालय के पास किसी अथवा सभी टेंडरों को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (16) टेंडरदाता को पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी संगठनों/विभागों में फर्म द्वारा किए गए कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।
- (17) फर्मों से अनुरोध किया जाता है कि संलग्नक-1 में दर्शाई गई मर्दानों के लिए अपनी दरें टंकित रूप में अपने पत्र शीर्षों में साफ-साफ प्रस्तुत करें।
- (18) यदि संविदा लेने वाली फर्म संविदा दे दिए जाने के पश्चात उसे स्वीकार करने में समर्थ नहीं है या वह संविदा स्वीकार कर लेने के पश्चात कार्य करने में समर्थ नहीं है तो वह विभाग को हुई हानि के लिए भुगतान करने का दायी होगा जिसमें वह अतिरिक्त दर शामिल होगी जिसके लिए मंत्रालय को ऐसा कार्य कराने के लिए किसी अन्य संविदाकार को भुगतान करना पड़ेगा।
- (19) मुकर जाने का उपरोक्त कार्य संविदाकार को इस मंत्रालय के साथ किसी भावी व्यापार से स्वतः वंचित कर देगा।
- (20) जिस टेंडरदाता की कोटेशनों को अंत में स्वीकार किया जाता है उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से गारंटी के रूप में ₹.50,000/- (पचार हजार रूपये केवल) की राशि या निष्पादन प्रतिभूति के रूप में इस राशि का आवधिक निक्षेप जमा करना

होगा। विभाग के पास ऐसी स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा जब फर्म संविदा के किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करती है अथवा संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करती है।

7. टेंडर 18 मार्च, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय, कमरा नं.86-बी, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 के पास जमा किए जा सकते हैं। तकनीकी बोलियों को उसी दिन अर्थात् 18 मार्च, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे टेंडर खोलने के दौरान उपस्थित रहने के इच्छु टेंडरदाताओं की उपस्थिति में कमरा नं.86-बी में ही खोला जाएगा।

8. यह नोट कर लिया जाए कि यदि अपेक्षित बयाना राशि के बिना टेंडर प्रस्तुत किया जाता है और/अथवा 'तकनीकी बोली' तथा 'वित्तीय बोली' अलग-अलग प्रस्तुत नहीं की जाती है तो बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(जगदीश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, नई दिल्ली/दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा नियोजित संविदाकार यदि इच्छुक हों और शर्तों को पूरा करते हों तो उन्हें अपने टेंडर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाए।

(जगदीश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्टाफ कार/तिपहिया स्कूटरों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी कार्यों की सूची

क्र.सं. मद/कार्य का वर्णन

1. सर्विसिंग और लुब्रिकेशन, ऑयल-फिल्टर एलीमेंट बदलना।
2. ड्राई सर्विसिंग और लुब्रिकेशन।
3. ग्रीसिंग केवल कार
4. कार की रबिंग और पॉलिसिंग।
5. ऑयल फिल्टर बदलना और इंजन ऑयल बदलना।
6. वाशिंग
7. इंजन ट्यूनिंग
8. प्रदूषण जांच

इंजन

1. पूरे इंजन की ऑवरहॉलिंग
2. सिलेंडर हैड ऑवरहॉलिंग
3. फ्लाइ-व्हील रिंग को बदलना
4. रॉचर शाफ्ट और टेपेट को बदलना
5. ऑयल प्रेसर रिलीफ की एडजस्टमेंट और रीफिटिंग
6. टाइमिंग कवर प्लेस को बदलना
7. ऑयल पंप की रीफिटिंग
8. इंजन टाइमिंग टेपेट एडजस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और जी.आर. प्वाइंट, स्पार्क प्लगों की सफाई और एडजस्टमेंट।
9. फ्यूल पंप की ऑवरहॉलिंग
10. वाल्व गेज को बदलना
11. एक्सलरेटर वायर को बदलना
12. केवल टेपेट का एडजस्टमेंट
13. डिस्ट्रीब्यूटर की सफाई
14. कार्बुरेटर की सफाई
15. स्पार्क प्लग की सफाई और उन्हें बदलना
16. डिस्ट्रीब्यूटर कैप की सफाई
17. कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग की रीफिटिंग
18. मेन बेयरिंग को बदलना
19. फैन बैल्ट को बदलना

20. टाइमिंग कवर्स पैकिंग को बदलना
21. न्यू टाइमिंग चेन को बदलना
22. वाटर पंप एसेंबली की ऑवरहॉलिंग
23. वाटर पंप बेयरिंग की ऑवरहॉलिंग

क्लच

1. क्लच ऑवरहॉलिंग
2. फ्री ट्रेवल क्लच का एडजेस्टमेंट
3. क्लच और ब्रेक पैडल शाफ्ट/बुश को बदलना
4. क्लच प्लेट एसेम्बली की ऑवरहॉलिंग
5. क्लच एडजेस्टमेंट रॉड को बदलना
6. क्लच प्लेट को बदलना

गियर बॉक्स

1. गियर बॉक्स की ऑवरहॉलिंग
2. गियर बॉक्स एसेंबली की ऑवरहॉलिंग
3. फ्रंट ऑयल सील को बदलना।
4. साइड-कवर पैकिंग और सील को बदलना
5. गियर बॉक्स फाउंडेशन को बदलना
6. गियर लीवर को बदलना
7. गियर लिंकेज बाल ज्वाइंट को बदलना

स्टियरिंग

1. कंपलीट स्टियरिंग की ऑवरहॉलिंग
2. स्टियरिंग एसेंबली की रीफिटिंग को निकालना
3. बॉल ज्वाइंट की एडजेस्टमेंट
4. टाई रॉड के सिरों की एडजेस्टमेंट
5. डैंपर पैड की एडजेस्टमेंट
6. पिनियन थ्रस्ट की एडजेस्टमेंट
7. पिनियन बेयरिंग की एडजेस्टमेंट
8. फ्लेंज की एडजेस्टमेंट
9. स्टियरिंग व्हील के टॉप मेल्ट को बदलना
10. स्टियरिंग व्हील के बॉटम मेल्ट को बदलना
11. स्टियरिंग व्हील को बदलना
12. स्टियरिंग कॉलम को बदलना

13. गेयर कंट्रोल रॉड को बदलना
14. गेयर कंट्रोल रॉड एसेंबली को बदलना
15. गेयर कंट्रोल रॉड स्पोर्ट को बदलना
पिवट पिन सलेक्टर लीवर न्यू मेकिंग
16. गेयर पिवट ब्रेकट्स को बदलना
17. टाई रॉड के सिरों को बदलना
18. बॉल ज्वाइंट (प्रत्येक) को बदलना
19. ब्रेकट कॉलम स्पोर्ट एसेंबली को बदलना
20. व्हील कास्टर चेंबर और टो-इन-आउट की सेटिंग
21. टो-इन और टो-आउट का एडजस्टमेंट

सस्पेंसन

1. कंप्लीट संस्पेंसन की ऑवरहॉलिंग
2. रबर बुश किट को बदलना
3. रीयर स्प्रिंग एसेंबली (एक साइड) को बदलना
4. ब्रोकन लीफ को बदलना
5. टाई बार बुश (एक साइड) को बदलना
6. एक शॉक एबजोर्वर को बदलना
7. रीयर स्प्रिंग बुशों को बदलना
8. फ्रंट व्हील ऑयल सील को बदलना
9. फ्रंट व्हील ऑयल सील को बदलना
10. टोर्शन बार को बदलना
11. फ्रंट बुश सस्पेंसन को बदलना

रीयर ऐक्सल

1. बेंडिंग और एडजस्टिंग ब्रेक्स सहित रीयर ऐक्सल एसेंबली की रीफिटिंग
2. डिफ्रेंशियल की ऑवरहॉलिंग, डिसमेंटलिंग ऑफ रीयर ऐक्सल फिटिंग विद न्यू चार्टस्
3. हब ऑयल सील को बदलना
4. पिनियन ऑयल सील को बदलना
5. हब बेयरिंग को बदलना
6. रीयर ऐक्सल शाफ्ट को बदलना
7. डिफ्रेंशियल पैकिंग को बदलना
8. रीयर ब्रेक ड्रम को बदलना
9. ऐक्सल केसिंग फ्लैज से बैक प्लेट एसेंबली को बदलना

प्रोपेलर शाफ्ट

1. नई प्रोपेलर शाफ्ट की फिटिंग
2. प्रोपेलर शाफ्ट 'यू' प्वाइंट की फिटिंग

ब्रेक्स

1. कंपलीट ब्रेक सिस्टम की ऑवरहॉलिंग
2. फुट ब्रेक शू की एडजेस्टमेंट
3. ब्रेक ब्लीडिंग सिस्टम की एडजेस्टमेंट
4. मास्टर सिलेंडर की ऑवरहॉलिंग
5. फ्रंट ब्रेक लाइनिंग्स को बदलना
6. व्हील सिलेंडर (एक साइड) को बदलना
7. सभी व्हील सिलेंडरों की ऑवरहॉलिंग
8. रीयर ब्रेक लाइनिंग्स को बदलना
9. कंपलीट ब्रेक लाइनिंग्स को बदलना
10. ब्रेक ड्रम लाइनिंग्स को बदलना
11. हैंड ब्रेक केबल को बदलना
12. ब्रेक शू और ब्लडिंग को बदलना
13. ब्रेक ड्रम फ्रंट को बदलना
14. फ्रंट ब्रेक ड्रम को बदलना
बेयरिंग और एडजस्टमेंट

फ्यूल टैंक

1. फ्यूल टैंक को निकालना, साफ करना और रीफिट करना
2. पेट्रोल टैंक हार्डबोर्ड कवर को बदलना
3. फ्यूल टैंक होज पाइप को बदलना
4. पेट्रोल फ्लेक्सिबल पाइप (प्रत्येक) को बदलना

इलेक्ट्रीकल

1. डायनमों
2. डायनमों एसेंबली को बदलना
3. डायनमों पुल्ली को बदलना
4. डायनमों फैन को बदलना
5. बैटरी की टेस्टिंग और रिचार्जिंग
6. वॉल्टेज रेगुलेटर को बदलना
7. सैल्फ स्टार्टर की ऑवरहॉलिंग
8. हॉरन की रिपेयरिंग

9. हैड लाईट फोकसिंग
10. प्रत्येक हैड लाईट के बल्ब बदलना
11. साइड और टेल लाईट बल्ब को बदलना
12. डेश बोर्ड लाईट बल्ब को बदलना
13. हॉरन रिंग की ऑवरहॉलिंग
14. हॉरन रिंग स्टार्टर प्लेस स्लीव को बदलना
15. इक्विशन स्विच को बदलना
16. कंपलीट वायरिंग को बदलना
17. फ्यूज गेज टैंक यूनिट को बदलना
18. फ्यूज गेज डैश बोर्ड की जांच/बदलना
19. न्यू इलेक्ट्रिक बल्ब इन पैरलल की फिटिंग
20. न्यू सर्च लाईट की फिटिंग
21. स्पीडोमीटर केबल एसेंबली की फिटिंग
22. आरमेचर को बदलना
23. सेल्फ स्टार्टर स्विच को बदलना
24. सोलेनोइड स्विच को बदलना
25. वाइपर ब्लेड को बदलना और जांच करना
26. वाइपर मोटर की ऑवरहॉलिंग
27. वाइपर मोटर को बदलना

एग्जॉस्ट

1. एग्जॉस्ट पाइप फ्रंट को बदलना
2. न्यू मफलर को बदलना
3. मफलर एसेंबली, बफर प्लेट को बदलना
4. टेल प्लेट को बदलना
5. साइलेंसर पाइप ब्रेकट (प्रत्येक) को बदलना
6. रीयलिगनिंग एग्जॉस्ट पाइप एसेंबली

बाँडी

1. रीयर बैक लाइट को निकालना और बदलना
2. फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास को बदलना
3. डोर लॉक (एक) निकालना और बदलना
4. डोर हैंडल (एक्सट्रनल) को निकालना और बदलना
5. प्रत्येक डोर की डोर हिंग्स पिन्स को बदलना
6. डोर विन्डो रेगुलेटर को बदलना
7. प्रत्येक डोर ग्लास को बदलना

8. डोर गोला को बदलना
9. डोर बीडिंग सेट को बदलना
10. डोर केन्ड सेट को बदलना
11. डोर हैंडल सेट को बदलना
12. चेनल सेट और बीडिंग सेट को बदलना
13. रूफ अपहोलेस्ट्री को बदलना
14. बोनट एडजेस्टमेंट
15. डिक्की लॉक की मरम्मत और बदलना
16. फ्रंट और रीयर बंपर को बदलना

पेंट

1. कंपलीट पेंटिंग डबल कोट बिना डेंट के
2. कंपलीट पेंटिंग सिंगल कोट
3. पुराने पेंट की स्ट्रैपिंग के बाद कंपलीट पेंटिंग
4. कंपलीट पेंटिंग कलर चेंज

एयर-कंडीशनिंग सिस्टम

1. एसी की जनरल सर्विसिंग
2. गैस फिलिंग
3. कार से एसी को निकालना
4. कार में एसी फिट करना

कोई मद (ऊपर उल्लिखित मदों के अलावा)

- 1.
- 2.